

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/3114

दिनांक: 05.03.2024

आदेश संख्या: 97/2023-24

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963.के नियम 29(2ए)के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 की रिक्तियों पर विचार हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.02.2024 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद के पे मेट्रिक्स लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-


क्र. सं.	लिक संख्या	मेरिट क्रमांक/ बैच वर्ष	कार्मिक का नाम सर्वश्री / श्रीमती/ सुश्री	प्रवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति वर्ष	पदोन्नति की दिनांक
1	3	4	5	6	7	8	9
1	9739	R-6/2011	अमर भण्डारी		7-Apr-83	2023-24	26.04.23
2	9203	47/2008	महेन्द्र कुमार वर्मा	SC	10-Jul-86	2023-24	01.08.23
3	9254	103/2008	आनन्दी लाल रैगर	SC	5-Jun-79	2023-24	01.09.23
4	9287	139/2008	लक्ष्मीराम	SC	23-Jun-80	2023-24	01.10.23

उक्त कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार पदोन्नति की तारीख से, उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह 03 पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे 03 वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड I में क्रमोन्नत/कमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त/राजस्व/2010, दिनांक 05.03.2024 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक: 05.03.2024

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/3114

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
4. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालयको निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड-II पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, कार्यालय हाजा।
7. अलेसे-II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)